|  |  |
| --- | --- |
| ***उत्तरी कैरोलिना इन्फ़ेंट-टॉडलर कार्यक्रम*** |  |

***आय के सत्यापन के लिए परिवार को अधिसूचना***

**आय का सत्यापन**

इन्फ़ेंट-टॉडलर कार्यक्रम सेवाओं की लागत में परिवार का हिस्सा निर्धारित करने के लिए, CDSA को आपके परिवार की आय और परिवार के आकार का सत्यापन करना होगा। परिवार की समायोजित सकल आय को निर्धारित करने का पहला तरीका, आवश्यक फ़ेडरल आयकर रिटर्न की एक कॉपी प्राप्त करनी होगी। फिर भुगतान करने की क्षमताको निर्धारित करने के लिए इस राशि की गणना स्लाइडिंग शुल्क पैमाने पर की जाती है।

आपको अपने बच्चे के इन्फ़ेंट-टॉडलर कार्यक्रममें नामांकन से **पहले** तथा हर वर्ष CDSA बिज़नेस ऑफिस को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करानी होगी:

**प्राथमिक तरीका:**

[ ]  फ़ेडरल आयकर फ़ॉर्म

सबसे हालिया फ़ेडरल आयकर फ़ॉर्म की कॉपी। अगर कर अलग-अलग फाइल किया जाता है तो परिवार के दो सदस्यों के टैक्स रिटर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है।

|  |
| --- |
| *अगर कर फ़ॉर्म उपलब्ध नहीं हैं, तो स्लाइडिंग शुल्क पैमाने के साथ इस्तेमाल के लिए पारिवारिक इकाई की आय निर्धारित करने के लिए एक वैकल्पिक तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैकल्पिक तरीका सत्यापित सकल आय से 3% की कटौती की अनुमति देगा। अगर चेक/वेतन स्टब उपलब्ध नहीं हैं, या ऐसे मामलों में जब सबसे हालिया वेतन स्टब (जैसे मौसमी कर्मचारी, कृषि आय, पूरक आय वाले परिवार) द्वारा आय का सही आकलन नहीं किया जा सकता है, तो नियोक्ता की ओर से हस्ताक्षरित विवरण प्रदान किया जा सकता है।* |

**वैकल्पिक तरीके:**

[ ]  चेक स्टब या पे स्टब

 वेतन के दो सबसे हाल के महीनों के चेक स्टब्स या पे स्टब्स की कॉपी

 **या**

[ ]  नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य

 विवरण में सकल आय के वर्तमान स्तर के आधार पर वार्षिक वेतन दिखाया जाना चाहिए

**बीमा की जानकारी**

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं का बिल बीमा कंपनी को दिया जा सकता है, CDSA को आपकी बीमा योजना के कवरेज की पहचान करनी होगी।

अगर आप अपने बीमा के इस्तेमाल के लिए सहमति देते हैं, तो निम्नलिखित जानकारी यथाशीघ्र CDSA बिज़नेस ऑफिस को प्रदान की जानी चाहिए। जब भी यह जानकारी बदलती है तो इसे CDSA के साथ अपडेट किया जाना चाहिए।

[ ]  बीमा कार्ड

 बीमा कार्ड के आगे और पीछे की कॉपी

**आवश्यक दस्तावेज़ सबमिट करने की समय-सीमा:**

आय के सत्यापन के लिए आवश्यक जानकारी CDSA बिज़नेस ऑफिस को       *[CDSA को आवश्यकतानुसार तारीख की जानकारी दर्ज करनी होगी]* तक मेल, फैक्स या हाथ से प्रदान की जानी चाहिए

अगर आपके बच्चे के IFSP की तारीख तक आवश्यक आय जानकारी प्राप्त की जाती है, तो आपके स्लाइडिंग शुल्क पैमाने का प्रतिशत, उसके प्राप्त होने तक 100% पर सेट रहेगा। अगर बीमा कार्ड प्राप्त नहीं होता है और आपका बीमा सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो इन्फ़ेंट-टॉडलर कार्यक्रम दर (जो कि मेडिकेड दर है) को IFSP पर प्रभार्य सेवाओं के लिए आपके स्लाइडिंग शुल्क पैमाने के प्रतिशत को लागू करने के लिए आपके आधार शुल्क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न हों तो नीचे दी गई संपर्क जानकारी का इस्तेमाल करके CDSA बिज़नेस ऑफिस से संपर्क करें:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CDSA संपर्क जानकारी:** |       | *डाक पता* |       |
| *CDSA नाम* |       |       |
| *बिज़नेस ऑफिस संपर्क* |       | *फ़ोन नंबर* |       |
|       | *फैक्स नंबर* |       |